न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमान रजय यादव(आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2003

1. किशोर पुत्र रामधन जाति माली निवासी ग्राम उदयपुर कलां तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

बनाम

प्रार्थी

1. रामधन पुत्र देवीलाल (फौत)
1/1 बिदाम देवी पत्नि रामधन
1/2 स्याणी पुत्री रामधन
1/3 सन्तोष पुत्री रामधन
1/4 सम्पति पुत्री रामधन
सर्व जाति माली निवासी ग्राम उदयपुर कलां तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
1/5 शकुन्तला पुत्री रामधन
2. शंकर पुत्र देवीलाल
3. जगदीश पुत्र देवीलाल
4. देवकीनन्दन पुत्र रामधन
5. भवंरी बेवा स्व० गणपतलाल
6. रामेश्वर पुत्र गणपतलाल
7. तुलसी पत्नि ओमप्रकाश
8. दीपीका पुत्री ओमप्रकाश
9. मानवी पुत्री ओमप्रकाश
10. अमरचन्द पुत्र गणपतलाल
11. ताराचन्द पुत्र गणपतलाल
सर्व जाति माली सर्व निवासी ग्राम उदयपुरकलां तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

अप्रार्थीगगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 भू.राज.अधि. 1956

दिनांक 17.12.2025

उपस्थितः– वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर
वकील अप्रार्थी श्री इन्द्रेश कुमार, भवानी सिंह

संक्षेप में प्रकरण का सार इस प्रकार है कि यह प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 , माननीय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त महोदय अजमेर के पत्र क्रमांक /प–3 / कोर्ट / LR / 128/2008/12745 दिनांक 03.09.2012 से मूल पत्रावली अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2008 को निरस्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रेषित की गई कि उपखण्ड अधिकारी स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर दोनो पक्षों की सम्पूर्ण विवादग्रस्त भूमि संबंधी जांच कर मुस्तगीस मूल मुद्दाम से नापचौप करवाकर तहसीलदार से विवादग्रस्त भूमि का तरमीम की कार्यवाही करावे। जिस आदेश की पालना में प्रकरण को पुनः दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

दिनांक 17.03.2017 को माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अप्रार्थीगण की निगरानी को खारिज कर दिया गया तथा श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के आदेश दिनांक 17.07.2012 को यथावत रखा गया है।

दिनांक 27.07.2017 को तहसीलदार किशनगढ को न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के आदेश दिनांक 17.07.2012 की पालना में वादअधीन भूमि का सीमाकंन करने बाबत आदेशित किया गया। दिनांक 27.07.2017 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा वादअधीन भूमि का मौका रिपोर्ट पेश की गई। दिनांक 23.10.2017 को वकील अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 55 भू.राज.अधि. के तहत पेश किया गया। दिनांक 14.11.2017 को वकील अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 07 सी.पी.सी. का पेश किया गया। दिनांक 25.02.2019 को वकील अप्रार्थी का ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 (2) सी.पी.सी. का पेश किया गया जिसे दिनांक 04.09.2019 को स्वीकार किया गया। दिनांक 04.07.2022 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश किया गया । दिनांक 24.12.2024 को वकील अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 07 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने में अनापत्ति जाहिर की जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 07 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 01.04.2025 को वकील अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया गया जिसे दिनांक 07.05.2025 को स्वीकार किया गया। दिनांक 21.05.2025 को वकील उभयपक्ष की धारा 55 भू.राज.अधि. के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया।

दिनांक 17.12.2025 को वकील उभयपक्ष की मूल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं मूल प्रार्थना पत्र धारा 111,128 भू.राज.अधि. 1955, न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.07.2008 , न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 17.07.2012 एवं न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 24.01.2017 का अवलोकन किया गया। मूल प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 01 में वर्णित भूमि 136/3/2 पर मौके पर उपस्थित रहकर प्रार्थी के मौके पर कब्जा अनुसार तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करें। विधिक प्रक्रिया के उपरान्त न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.07.2008 को प्रकरण का निस्तारण किया गया जिसमें निर्णय दिया गया कि तरमीम एक प्रशासनिक प्रक्रिया है तथा भू.राजस्व अधि. के अनुसार तहसीलदासर को निर्देश दिये जातें हैं कि वो नियमानुसार जांच कर आराजी खसरा संख्या 136/3/2 की तरमीम करावे। न्यायालय हाजा के उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के समक्ष अपील पेश की गई जिसमें श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा दिनांक 17.07.2012 को आदेश पारित किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ का आदेश दिनांक 17.07.2008 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिया जातें हैं कि उपखण्ड अधिकारी स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर दोनों पक्षों की सम्पूर्ण विवादग्रस्त भूमि संबंधी जांच कर मुस्तगीस मूल मुटाम से नापचौप करवाकर तहसीलदार से विवादग्रस्त भूमि की तरमीम करवाये जाने की कार्यवाही करें। उक्त आदेश की अपील अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर में की गई। न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त अपील को दिनांक 24.01.2017 को इस आदेश के साथ खारिज किया गया कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर का निर्णय दिनांक 17.07.2012 को यथावत रखा जाता है, सम्पूर्ण विवेचन के अनुसार श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 17.07.2012 को यथावत रखा गया है जिसमें उनके द्वारा वादअधीन भूमि की तरमीम के आदेश दिये गयें हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय के आदेश की पालना में तहसीलदार किशनगढ की अध्यक्षता में, नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय किशनगढ, गिरदावर हल्का एवं पटवारी हल्का की संयुक्त टीम का गठन कर आदेशित किया जाता है कि उक्त टीम मौके पर उपस्थित रहकर,

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

दअधीन भूमि के साबिक राजस्व रिकार्ड का अध्ययन कर, वर्तमान राजस्व रिकार्ड व उभयपक्षकारान के वादअधीन भूमि पर वर्तमान कब्जे की स्थिती के अनुसार विस्तृत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट बनाते हुये जिसमें दो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर हो, तैयार करते हुये वादअधीन भूमि की तरमीम करने की कार्यवाही करें। उक्त आदेश की मियाद अवधि के उपरान्त तहसीलदार किशनगढ वादअधीन भूमि पर की गई तरमीम के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करे। पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी प्रकार के कब्जे में परिवर्तन नहीं किया जावे, कब्जे छुडवाने की कार्यवाही नहीं किया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

राजस्व वाद पत्र संख्या 09 / 2003 उनवान किशोर बनाम रामधन

17/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की प्रा० पत्र धारा 111/128 पर बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से टंकित कर पत्रावली मे शामिल रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नथीशामिल कार्यालय हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़